

अभिलेख उपस्थापित । जांच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, — से निर्धारित अवधि में अप्राप्त है। क्रेता एवं विक्रेता के द्वारा स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से पैरवी नहीं दी गई। इससे प्रतीत होता है कि क्रेता एवं विक्रेता को भूमि/क्रय-विक्रय/भूमि हस्तांतरण में कोई अभिरूची नहीं रह गई है। नियमानुसार छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(i) प्रोभिजो "ए"/"बी" की कार्रवाई 90 दिनों के अन्दर निष्पादित करना है। अतः आवेदकगण की भूमि हस्तांतरण में दिखाई जा रही उदासीनता के आलोक में वाद की कार्रवाई स्थगित की जाती है।

*Devi*  
30.1.22  
भूमि सुधार उप समाहर्ता  
पोड़ाहाट चक्रधरपुर।

2011-18